महत्वपूर्ण

संख्या– 1453 / नौ–9–2012–90ज / 12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2012

विषय– नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत नागर निकायों के क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट पर विद्युत मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन स्थानों पर आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाया जाना उपयुक्त हो, ऐसे स्थलों का प्रत्येक नागर निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट प्रणाली के अन्तर्गत सर्वे करा लिया जाय और एक माह के अन्दर चयनित स्थलों की सूची उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्थानीय कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय। इस कार्य हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्थानीय/नोडल अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा चयनित स्थलों पर दो माह के अन्दर आटो–टाइमर युक्त विद्युत मीटर लगाया जायेगा तथा उक्त मीटर की आपूर्ति भी उन्हीं के स्तर से सुनिश्चित की जायेगी। उक्त कार्य में यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उससे शासन को तत्काल अवगत कराया जाय अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि कार्य समय से पूर्ण हो जायेगा।

4. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा यदि मीटर में आटो–टाइमर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो लाइट के जलने के समय के अनुपालन में सुविधा रहेगी। अतएव इसका परीक्षण कराकर शासन को तत्काल अवगत कराया जाय। इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि

दिन के समय यदि किसी स्थान पर स्ट्रीट लाइट जलती पायी जायेगी तो सम्बन्धित स्विचमैन का शिथिलता का परिचायक होगा और उस पर क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त धनराशि का दण्ड निर्धारित किया जायेगा।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

/

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन, शक्तिभवन, लखनऊ।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0)
7. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह) 07/8/2012
विशेष सचिव।

hggo-1